

अंतिम स्मार  
e-mail

पत्र सं.- 04 / स्था.-01-35 / 2019ज.सं.-

झारखण्ड सरकार,  
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक :-

अभय नन्दन अम्बष्ठ,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,  
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना,  
आदित्यपुर, जमशेदपुर।  
सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),  
जल संसाधन विभाग, राँची।  
मुख्य अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, धुर्वा राँची।  
उप समाहर्ता,  
राजस्व प्रमण्डल, राँची।

राँची, दिनांक:-

विषय:- आपके प्रक्षेत्राधीन वाहन चालक संवर्ग के कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन एवं नियुक्ति हेतु अध्याचना उपलब्ध कराने के संबंध में।  
प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 4254 दिनांक 06.08.19, पत्रांक 4042 दिनांक 25.07.19 पत्रांक 2521 दिनांक 16.05.19, पत्रांक 1700 दिनांक 27.03.19, पत्रांक 6228 दिनांक 11.11.2019 एवं पत्रांक 7281 दिनांक 11.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके प्रक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित वाहन चालक संवर्ग के पदनाम वार स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत बल एवं रिक्ति संबंधी संख्या एवं रोस्टर क्लीयरेंस की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई थी जो अबतक अप्राप्त है।

अपर मुख्य सचिव से प्राप्त निदेश के आलोक में झारखण्ड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2006 के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदन की आवश्यकता है-

1. वरीयता सूची के प्रकाशन की अद्यतन स्थिति।
2. रोस्टर के अनुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विवरणी।
3. आयोग को अध्याचना प्रेषण किये जाने हेतु अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करने की स्थिति।

अतः अनुरोध है कि आपके प्रक्षेत्रान्तर्गत वाहन चालक संवर्ग से संबंधित उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संवर्ग के मूल पद वाहन चालक (साधारण कोटि) पर नियुक्ति हेतु अध्याचना दिनांक 24.01.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया, इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक:-

522

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राँची, दिनांक:-

हस्ता-  
( अभय नन्दन अम्बष्ठ )  
सरकार के संयुक्त सचिव।

17/1/2020

( अभय नन्दन अम्बष्ठ )  
सरकार के संयुक्त सचिव।